

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) परियोजना (छत्तीसगढ़ सेक्शन)		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	एम.वी. अरविन्द उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इंडिया) लिमिटेड		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-		
		क्रमांक	विवरण	रकबा (हे.)
		1	PF - 110	1.4446
		2	PF - 109	2.0649
		3	PF - 95	0.4183
		कुल वनभूमि		3.9278
		4	राजस्व वनभूमि	0.8776
		कुल योग		4.8054
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	वनमंडल - जांजगीर चांपा		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल के अंतर्गत 3.9278 हे. संरक्षित वनभूमि एवं 0.8776 हे० राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़. का जंगल) का गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की गई है। परियोजना के अंतर्गत प्रभावित वनभूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।		
	(क) आरक्षित वन	-		
	(ख) संरक्षित वन	3.9278 हे.		
	(ग) असीमांकित वन	-		
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	0.8776 हे.		
	योग -	4.8054 हे.		

6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	राजस्व वन क्षेत्र
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	विदोहन योजना तैयार की गई है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	निरंक
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	निरंक
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)	निरंक
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें ।	निरंक

दिनांक 06/02/2023


 (डी० के० पटेल)
 भा.व.से
 वनमंडलाधिकारी
 वनमंडलाधिकारी
 जांजगीर-संसाधन वनमंडल